

नया रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

सं. 49/2017-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-87/2017/वाक/पांच(155). — राज्य सरकार, अधिसूचना सं. 48/2017- राज्य कर, क्रमांक एफ-10- 87 /2017/वाक/पांच(153) तारीख 18 अक्टूबर, 2017 के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 89 के उपनियम (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाउल्लेखित ऐसे साक्ष्य के रूप में, जिसे प्रतिदाय का दावा करने के लिए समझे गए निर्यात प्रदाय के प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	साक्ष्य
(1)	(2)
1	यथास्थिति, अग्रिम प्राधिकार धारक या निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार धारक का अधिकारिता वाला कर अधिकारी द्वारा अभिस्वीकृति कि उक्त समझे गए निर्यात पूर्तियां उक्त अग्रिम प्राधिकार या निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार धारक द्वारा प्राप्त हो गई हैं या प्राप्तकर्ता निर्यातोन्मुख यूनिट द्वारा सम्यकतः हस्ताक्षरित ऐसा कर बीजक जिसके अधीन ऐसे प्रदायों के प्रदायकर्ता द्वारा की गई हैं, कि उक्त समझे गए निर्यात प्रदाय उसके द्वारा प्राप्त कर लिये गये हैं, की एक प्रति ।
2	समझे गए निर्यात प्रदायों के प्राप्तकर्ता द्वारा वचनबंध कि ऐसे प्रदायों पर कोई इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उसके द्वारा नहीं लिया गया है ।
3	समझे गए निर्यात प्रदायों के प्राप्तकर्ता द्वारा वचनबंध कि वह ऐसे प्रदायों के बाबत प्रतिदाय का दावा नहीं करेगा और प्रदायकर्ता प्रतिदाय का दावा कर सकेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ-10- 87/2017/वाक/पांच(155). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10- 87/2017/वाक/पांच(155), दिनांक 18-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 18th October 2017

NOTIFICATION
No. 49/2017-State Tax

No. F-10-87/2017/CT/V (155). — In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-rule (2) of rule 89 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 read with notification No. 48/2017-State Tax, No. F-10-87/2017/CT/V (153) dated the 18th October, 2017, the State Government hereby notifies the following, as detailed in column (2) of the Table below, as evidences which are required to be produced by the supplier of deemed export supplies for claiming refund, namely :-

TABLE

S. No.	Evidence
(1)	(2)
1.	Acknowledgment by the jurisdictional Tax officer of the Advance Authorisation holder or Export Promotion Capital Goods Authorisation holder, as the case may be, that the said deemed export supplies have been received by the said Advance Authorisation or Export Promotion Capital Goods Authorisation holder, or a copy of the tax invoice under which such supplies have been made by the supplier, duly signed by the recipient Export Oriented Unit that said deemed export supplies have been received by it.
2.	An undertaking by the recipient of deemed export supplies that no input tax credit on such supplies has been availed of by him.
3.	An undertaking by the recipient of deemed export supplies that he shall not claim the refund in respect of such supplies and the supplier may claim the refund.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.